

Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा
फर्द अहकाम
(नियम 20)

हासून बनाम रहमान वगैरे
हुक्म का कार्यवाही मग इनीशियल्य जज
प्रार्थना पत्र -212 संख्या 29 वर्ष 2020

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख में
जारी हुए

आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील वादी उपस्थित हैं को सुना
गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं
हुक्म का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।

अतः अप्रार्थी संख्या 01 को आगामी दिनांक 02.03.2021 तक अस्थाई निषेधाज्ञा
बन्दरोला से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खरारा नम्बर 386/0.14, 402/0.34,
403/0.40, 405/0.80, 673/0.46 है 0 वाके ग्राम नीमली तहसील तिजारा पर प्रार्थी के हिससे
तक की आराजी को रहन, बय न करे।

बयो न उक्त आदेश ताफैसला वाद **Absolute** कर दिया जावे ? कोई
उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जवाब पेश करे। वकील
प्रार्थी वास्ते तलबी अप्रार्थी के नोटिस तलबाने जारी करा पो0 रसीद 07 दिवस में पेश करे
अन्वथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है पत्रावली वाद के साथ पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(अलवर)

